रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1640] नई दिल्ली, सोमवार, मई 7, 2018/ वैशाख 17, 1940
No. 1640] NEW DELHI, MONDAY, MAY 7, 2018/ VAISAKHA 17, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 2018

का.आ. 1827(अ).—मंत्रालय की प्रारुप अधिसूचना का.आ. 3100 (अ.), दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान पूर्व गारो पहाड़ी, पश्चिमी गारो पहाड़ी और दक्षिणी गारो पहाड़ी जिलों के त्रि-जंक्शन पर स्थित है और 47.48 वर्ग किलोमीट क्षेत्र में फैला है। यह अक्षांश 25° 20' से 25° 29'उ और देशांतर 90° 13' से 90° 35'पू के बीच स्थित है और यह संपूर्ण क्षेत्र पहाड़ी भू-भाग है जो मेघालय के पश्चिम भाग में तूरा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और इसके चारों ओर का क्षेत्र उक्त तीनों जिलों के लिए प्रमुख वाटर शेड हैं;

और, यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्य नदी प्रणालियों का महत्त्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र है जो गारों पहाड़ी के निम्न क्षेत्रों का पोषण करता है और इस क्षेत्र से तीन मुख्य नदियां सिमसंग, गनोल और दरेंग उत्पन्न होती हैं जिसमें इस उद्यान का महत्त्व बढ जाता है। निताई, भुगई, दिदारी, मंडल, रोमबोंग, कम्पील, सोबोक, चीबे आदि अन्य महत्त्वपूर्ण जल प्रणालियां है। इस क्षेत्र की मिट्टी लाल दुम्मटी है और यह उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र हैं जिसमें अधिक वर्षा होती है तथा उच्च आर्द्रता रहती है सर्दी में साधारण ठंड़ पडती है तथा ग्रीष्म ऋतु थोड़ी गर्म रहती है;

और, इस राष्ट्रीय उद्यान में निम्न ऊंचाई पर बांस के लट्ठों सहित चौंडी पत्तियों वाले सदाहरित और अर्द्ध–सदाहरित वन पाए जाते हैं और यह क्षेत्र जैव-भौगोलिक प्रदेश 4.09.04 (बर्मा मानसून वन) के अंतर्गत आता है। यह उत्तर-पूर्व भारत में पंवार और रोजर्स (1988) द्वारा यथावर्णित जैव भौगोलिक इकाई 9बी मेघालय पहाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। सर चैम्पियन और सेठ द्वारा किए गए वर्णन (1968) के अनुसार यहां के वनों में पूर्वी उप-पर्वतीय अर्द्ध-सदाहरित वन (उप-प्रकार 26/सी16) प्रकार के वन पाए जाते हैं। जिन्हें उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाहरित वनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है;

और, राष्ट्रीय उद्यान और इसके चारों ओर (जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र) की वनस्पति को सरसरी तौर पर ऊंचाईयों के आधार पर उष्णकट्रिबंधीय और उपोष्णटिंबंधीय क्षेत्रों की वनस्पतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उष्णकट्रिबंधीय वनस्पति समुद्र) स्तर से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में पायी जाती है। यहां की वनस्पति में सदाहरित, आर्द्र सदाहरित, आर्द्र पर्णपाती प्रकार की वनस्पति और बांस की झाड़ियां सम्मिलित हैं;

और, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान के साथ नोकरेक जैवमंडल रिज़र्व में गारो पहाडी के कुछ अद्धितीय क्षेत्र शामिल हैं और यह जैव-विविधता का एक वैश्विक हॉटस्पाट है जो प्राकृतिक सुंदरता, शांत विविधता पूर्ण वनस्पति, जीवजंतुओं और मानव संस्कृति के विविध रूपों का प्रतिनिधित्व करता है;

और, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान में जंगली हाथियों के लिए दो महत्त्वपूर्ण गलियारें है -(i) नोकरेक-एमंगरे गलियारा जिसकी कुल लंबाई लगभग 10.0 किलोमीटर और चौड़ाई 3.4 किलोमीटर है। यह नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान को एमंगरे रिजर्व वन के एवं उसके चारों ओर के बड़े वन भाग से तथा निकटवर्ती क्षेत्रों को जोड़ता है, और (ii) रंगीरा- नोकरेक गलियारा, जो हाल के सरकारी घटनाक्रम के कारण अवरूद्ध है;

और, यह राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति और जीवजंतु जैवविविधता का संरक्षण करता है। यहां वनस्पति की लगभग 75 प्रजातियाँ पायी जाती हैं जिनमें शामिल हैं *सेचीमा वाल्लीचि, टर्मिनलिया बेलेरिका, टर्मिनलिया चेबुला, अल्बिजिया लेब्बक, सिजिगियम स्प, अलुकीडा स्प, ग्लायकोडियम स्प, कस्टानोपिस हायस्ट्रीक्स, लिट्सिया नापालेंसिस, अकरोकपटुस फराक्पत्नीफोलिस, मोइसा, रामेंटोसा, रहुस जवानीका, फिकुस स्प, जिजिफुस रगोसदा, परेमना मुल्टीफलोरा, मिटराफोरा टोमेंटोसा, अगलाटा रूक्बुरघि, ल्लेलिकिया रूबुस्टा, क्यूइरकुस सेमीसेराटा, इरयोबूटयरा बेंगलेसिस, बरेयनिया पटेंस, इंगेल हंदिया, दीलेनिया पेंटगयना, क्ल्लेकापुस फलोरीबुंदुस, गिमेनीना अरबोरिया, गरोइनिया अल्पिनिस, गलाचीदीओन स्प, किटसिया स्प, होलार्राहाइना अंटीयसेंटरीका, लेगरसओमिया स्प, कुदिया कलेयकापा, सल्मालिया मालाबरिका, स्ट्रेकुलिया विलोसा, विटेक्स गलाबरा, मिकरंगा पल्काका, अपरोरूसा दिओकिया, गरेविया मिक्रोकोसम, मल्लोटुस फिल्लिपेंसिस, बयहुनिया स्प, कलिकारपा अरबोरिया, इम्बिलिका ओफ्फिकिनालिस, किन्नामोमुम स्प, हीबिस्कुस मक्रोफयलुस,बिरच, केदिया फलोरिबुंदा* आदि। यहां की वानस्पतिक संरचना में *मिचेलिया स्प, अपोरूसा वाल्लिचि, करयपटोकेरा अंदेर्सोनि, मेसुआ फेर्रा, कस्टनोपिस हायस्ट्रीक्स, केस्टनापोसिस अमाटा, बेटुला कुलींदरीस्टाचीस* आदि शामिल है। इन क्षेत्रों के तल पर में 1से 2 मीटर की लम्बाई की कुछ झाड़ियां जैसे *मुंरोनिया पिन्नाटा, इरयोबोटरा अंगुस्टीसिमा, अंटीस्ट्रोफे, ओक्सयंथा, स्ट्रराबिलांथुस गलोमेराटुस और इरिअंथुस स्प* आच्छादित हैं। वन क्षेत्रों के बीच वन रहित क्षेत्रों में खरपतवार जैसे कि *इयपथोरियम अडोराटीओन, मिचेनिया मिचरांटा, करोटो स्प* पाए जाते हैं। बांस प्रजातियों में *दीनोचलोअ मैकेल्लोअंदी और मेलाकाना बेम्बोसोइदेस* शामिल हैं। अधिजीविक विकास भी इन वनों में खूब हुआ है और लगभग प्रत्येक वृक्ष में अधिजीविक ऑर्किड, फर्न का और अन्य पौधों का घना विकास हुआ है। भू-वनस्पति के अंतर्गत *अल्पिनिया स्प, अमोमुम स्प, कोलोकसिया स्प, कोस्टरूस स्प, हेडेयचीयम स्प, चीतरूस इंडिका टनाका, चीतरूस लेपटीस तनाका, सिटरूस रेटीक्यूलेट ब्लैको, सिटरूस अयरानटीफोलिया स्विंगले, सिटरूस ग्रांदीस ओसबेक, सिटरूस जामबिरी लुसिंगटोन और सिटरूस लिमोन बुरम* जैसी प्रजातियां शामिल है आदि है;

और, राष्ट्रीय उद्यान में कई प्रमुख: जीवजंतु प्रजातियाँ रहती है जिनमें हूलॉक गिबोन, रेसुस बंदर, स्टम्प टीलेड मकाक, पिग टीलेड मकाक, कैंपड लंगूर, भालू, लजीला वानर, बोन्नट बंदर, मालापत विशाल गिलहरी, हिमालयन तोंदु, सूरज- भगत, बिंचरोंग, मलिन तेंदुआ, बाघ, ग्रेट भारतीय पिइड धनेश, सामान्य धनेश, सांभर, मुंजक, गौर, सेराव, जंगली हाथी, बनैला सूअर, भैसा, भारतीय लोमडी, भारतीय भेडिया, साही, नेवला, गंधबिलाव आदि शामिल है;

और, यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षी–जीवों से समृद्ध है तथा महत्त्वपूर्ण प्रजातियों जैसे कि *लोफुरा लेयकोमेलानूस* (खालीज फेइसंट ग्रेट पीड) *हॉर्नबिल, मोर तितर, स्पिलोर्निस चीला* (क्रेस्टेड सांप गरूड़) आदि का संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करता है। क्षेत्र के सरीसृपों में सांपो, छिपकलियों और कछुओं की कई प्रजातियां शामिल है;

और, इस राष्ट्रीय उद्यान में संकटापन्न और लुप्तप्राय वनस्पति और जीवजंतु प्रजातियाँ पायी जाती हैं जिनका यहां रक्षण परिरक्षण होता हैं और आक्षय मिलता है इनमें *किटरूस इंडिका तनका, नेपेंथेस खासिअना, पाफिपोदीलुम वेनुस्टुम,बिंचरोंग,*

हूलॉक गिब्बन, मलिन तेंदुआ, बाघ, गौर, पिग-टिलेड मकाक, स्टंप-टिलेड मकाक, एशियाई हाथी, तेंदुआ, बृहत गिलहरी, मुंजक आदि शामिल हैं;

और, यह राष्ट्रीय उद्यान अनेक प्रकार की वनस्पति, जीवजंतुओं, पक्षी जीवों का आक्षय-स्थल है। यह क्षेत्र के स्थानीय वन्यजीवों की संकटापन्न प्रजातियों को संरक्षण देता है । अत: पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की दृष्टि से इस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र का संरक्षण आवश्यक है ताकि इसमें मौजूद जैव-विविधता और इसके पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेघालय के नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 2.0 किलोमीटर से 8.0 किलोमीटर तक विस्तारित 271.48 वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र को नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 271.48 वर्ग किलोमीटर होगा। इसकी सीमाएं नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 2.0 किलोमीटर से 8.0 किलोमीटर तक होगी;

2. नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध I** के रूप में संलग्न है;

3. भू-निर्देशांकों के साथ नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है;

4. भू-निर्देशांकों के साथ नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है;

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण विभाग;

(ii) वन और वन्यजीव विभाग;

(iii) कृषि और बागवानी विभाग;

(iv) भूमि राजस्व और निपटान विभाग;

(v) ग्रामीण विकास विभाग;

(vi) शहरी विकास विभाग;

(vii) नगरपालिका विभाग;

(viii) पंचायती राज विभाग;

(ix) पारिस्थितिकी पर्यटन सहित पर्यटन विभाग;

(x) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग;

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(8) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(9) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(10) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, राज्य एवं जिला स्तरीय पारि-संवेदी क्षेत्र निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग;

(v) पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(vi) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा ।

(च) परंतु यह और भी कि वन क्षेत्र ,कृषि क्षेत्र जैसे हरित क्षेत्र में कोई पारिणामी कमी नहीं की जाएगी और अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गो के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी इन क्षेत्रों में या इनके आसपास के क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सख्त दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजार्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.0 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्टो की स्थापना की अनुज्ञा होगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के अनुसार किया जाएगा। ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात:-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे,

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती हैं ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योगों सहित उद्योगों की स्थापना ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजार्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगा।
10.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: (ख) परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण करना; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना ; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और ग्रह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । (ग) परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (घ) 1.0 किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होगी।

13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौंजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	ये कार्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किये जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।

28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है:-

(i)	वन संरक्षक (प्रादेशिक भूमि और वन्यजीव), मेघालय सरकार	- अध्यक्ष;
(ii)	मुख्य वन अधिकारी, गारो पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी)	–सदस्य;
(iii)	राजस्व विभाग के प्रतिनिधि	–सदस्य;
(iv)	प्रकृति संरक्षण, (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है), के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का मेघालय राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	–सदस्य;
(v)	क्षेत्रीय अधिकारी, मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	–सदस्य;
(vi)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र से मेघालय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशेषज्ञ	–सदस्य;
(vii)	सदस्य सचिव, मेघालय जैव विविधता बोर्ड	–सदस्य;
(viii)	संभागीय वन अधिकारी (संबंधित), गारो हिल्स वन्यजीव संभाग	–सदस्य सचिव।

6.विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) निगरानी समिति, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के अंतर्गत आने वाले उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण

और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 सं.का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और तटीय विनियम जोन अधिसूचना, 2011 सं.का.आ 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 तथा इनमें किए गए परिवर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। केवल श्वेत श्रेणी के उद्योगों को ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा "उद्योगों के वर्गीकरण, 2016" के लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट माना जाएगा।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और का.आ. 19 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा में आते हैं, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा-4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल–विशिष्ट दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा करके उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित जिलाधीश या संबंधित प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/25/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध ।

नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण

उत्तर: उत्तरी सीमा पर है मंडल नोकर (25°30'704"उ और 90°20'045" पू) जैसे ग्राम हैं जो संरक्षित क्षेत्र बांसिगगरी (25°30'535"उ और 90°27'389" पू) से लगभग 6.0 किलोमीटर दूर है जो कि संरक्षित क्षेत्र बांडी ग्री (25°30'406"उ और 90°24'018" पू) से लगभग 5.0 किलोमीटर दूर है जो संरक्षित क्षेत्र से लगभग 5.0 किलोमीटर दूर है।

पूर्व : पूर्वी सीमा पर रोंगबिराग्री (25°27'010" उ और 90°35'028" पू) जैसे ग्राम हैं-जो संरक्षित क्षेत्र से मात्र लगभग 2.0 किलोमीटर दूर है ।

पश्चिम: पश्चिमी सीमा पर लगभग 2.0 किलोमीटर दूर स्थिति निकरांग एडिंग (25°30'627" उ और 90°13'548" पू) और लगभग 3.0 किलोमीटर दूर स्थित डेयरंग्रे (25°28'56.3" उ और 90°14'17.9" पू) जैसे गांव हैं।

दक्षिण: दक्षिणी सीमा पर संरक्षित क्षेत्र से लगभग 8.0 किलोमीटर दूर स्थित इमाग्रे (25°22'28.7" उ और 90°33'07.0"पू) और संरक्षित क्षेत्र से लगभग 5.0 किलोमीटर दूर स्थित चिरीनगमा (25°23'08.1" उ और 90°25'29.9"पू) जैसे महत्त्वपूर्ण हाथी गलियारे हैं

उपाबंध-II

भू-निर्देशांकों के साथ नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	निर्देशांक (बीयरिंग)	
		अक्षांश	देशांतर
1.	दरेंगरे	25°28'56.3" उ	90°14'17.9" पू
2.	रोंगकुगरे	25°23'33.9" उ	90°25'24.3" पू
3.	दुरा आसीम	25°27'12.3" उ	90°16'32.3" पू
4.	दुराबंदा	25°25'51.6" उ	90°16'53.8" पू
5.	आवेगरे	25°25'58.6" उ	90°18'21.8" पू
6.	अंछिगरे	25°25'53.4" उ	90°18'58.2" पू
7.	पसीमगरे	25°25'47.9" उ	90°19'33.9" पू
8.	रोंगछेंग्गरे	25°25'35.0" उ	90°20'13.7" पू
9.	रोंगडिगरे	25°24'43.3" उ	90°19'20.9" पू
10.	दानागरे	25°25'27.3" उ	90°20'54.9" पू
11.	मेकालपारा	25°25'28.4" उ	90°23'03.8" पू
12.	रौबंगा	25°25'17.1" उ	90°23'20.3" पू
13.	कालबंग्गरे	25°23'55.1" उ	90°22'54.9" पू
14.	रोंगासी	25°25'27.7" उ	90°25'25.9" पू
15.	रोंगरुगरे	25°23'33.9" उ	90°25'24.3" पू
16.	छिरींगमा	25°23'08.1" उ	90°25'29.9" पू
17.	रोंगरुआसीम	25°23'16.3" उ	90°26'28.8" पू
18.	दारेंग्गरे	25°24'25.6" उ	90°26'45.7" पू
19.	जेतरागरे	25°25'26.2" उ	90°27'31.8" पू
20.	रोंगमाकाकिजा	25°28'56.3" उ	90°14'17.9" पू
21.	रेकमांगरे	25°22'58.8" उ	90°29'57.6" पू
22.	पारोमगरे	25°24'05.1" उ	90°30'48.8" पू
23.	रोंगमा अंटी	25°24'47.1" उ	90°31'00.2" पू
24.	दाबालगरे	25°23'45.5" उ	90°33'17.8" पू

25.	अरौकनोकातगरे	25°23'11.6" उ	90°35'25.1" पू
26.	गोंगजागरे	25°25'508" उ	90°35'268" पू
27.	काकवादुरागरे	25°26'497" उ	90°33'797" पू
28.	रोंगबोकगरे	25°27'289" उ	90°33'565" पू
29.	माबोकगरे	25°27'47.7" उ	90°32'214" पू
30.	नोजांग्गरे	25°27'205" उ	90°32'577" पू
31.	सोबोकगरे	25°27'56.8" उ	90°31'29.2" पू
32.	नेंगसरंगअदुगरे	25°28'52.6" उ	90°29'10.9" पू
33.	पाथालगरे	25°29'537" उ	90°29'934" पू
34.	जिंगामगरे	25°29'230" उ	90°28'428" पू
35.	बंसिनग्गरे	25°30'535" उ	90°27'389" पू
36.	रोंगछेकगरे	25°29'298" उ	90°25'506" पू
37.	आपांग्गरे	25°29'318" उ	90°24'003" पू
38.	बंदीगरे	25°30'406" उ	90°24'018" पू
39.	मंडलगरे	25°30'943" उ	90°22'137" पू
40.	बोलदोरेंग्गरे	25°31'978" उ	90°14'790" पू
41.	निकरांगआदिंग	25°30'627" उ	90°13'548" पू
42.	दुरा कालाकगरे	25°30'561" उ	90°18.454" पू
43.	मंडलनोकट	25°30'704" उ	90°20'045" पू
44.	रोंगबिंग्गरे	25°27'010" उ	90°35'028" पू
45.	एमानगरे	25°22'28.7" उ	90°33'07.00" पू
46.	दादुगरे	25°22'29.8" उ	90°33'08" पू
47.	बावेदुरागरे	25°28'34.6" उ	90°33'05.3" पू
48.	साकालगरे	25°29'28.9" उ	90°17'20.8" पू
49.	बालादिंग्गरे	25°29'35.8" उ	90°17'27.0" पू
50.	दारेछिकगरे	25°31'23.6" उ	90°16'19.1" पू

उपाबंध-III

भू-निर्देशांकों के साथ नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

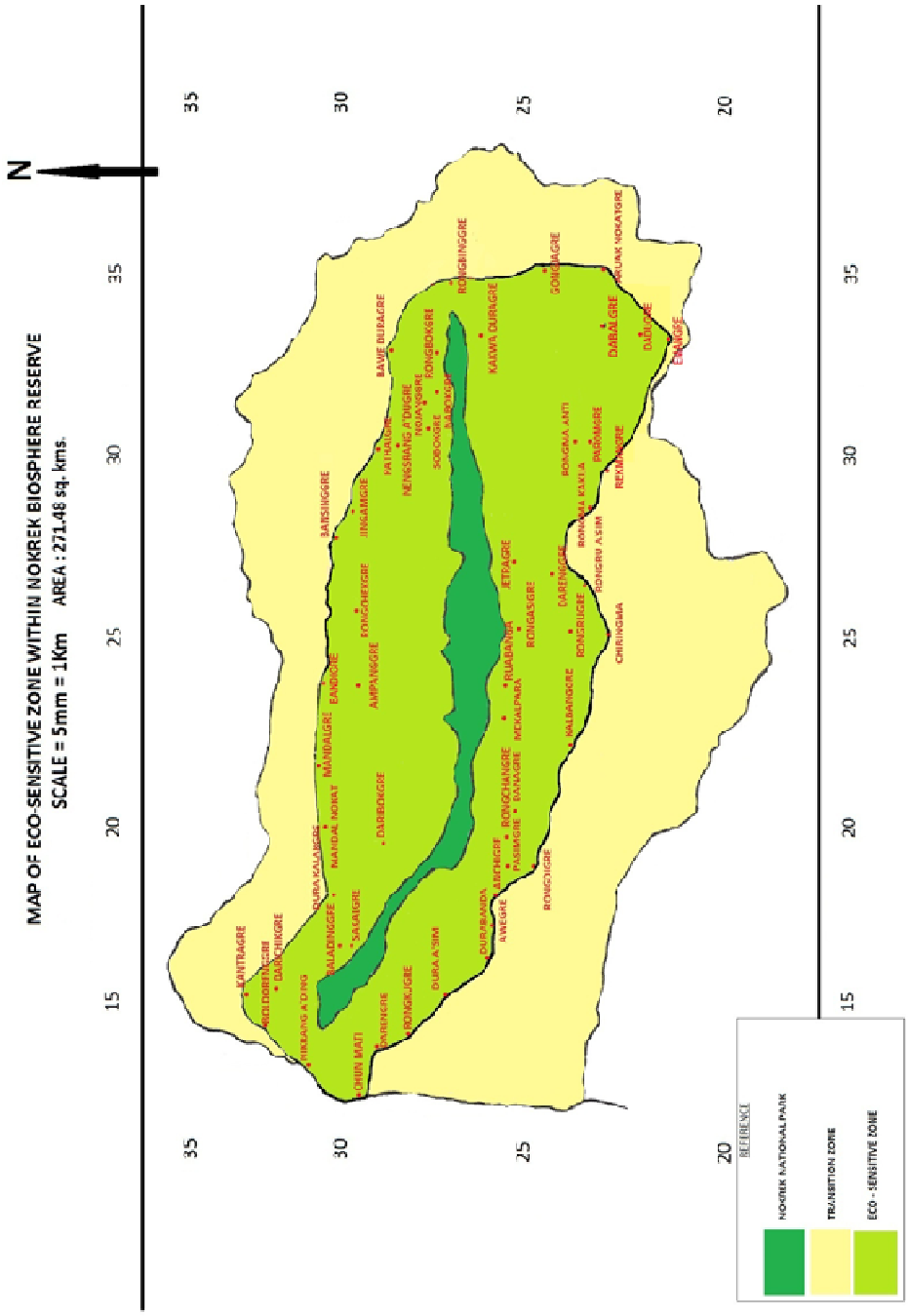

उपाबंध-IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति-की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 2018

S.O. 1827(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 3100 (E), dated 17th November, 2015, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Nokrek National Park with an area of 47.48 square kilometers is situated at the tri junction of East Garo Hills, West Garo Hills and South Garo Hills Districts and lies between 25° 20' to 25° 29'N Latitude and 90° 13' to 90° 35'E Longitude and the entire area is a hilly terrain located on Tura range of mountain system in the western part of Meghalaya and the surrounding area is principal watershed for the three districts;

AND WHEREAS, National Park forms an important catchment area of major river system which feed the low lying area of Garo Hills and three major rivers originating from this area are Simsang, Ganol and Dareng rivers add significance to the park. The Nitai, Bhugai, Didari, Mandal, Rombong, Kampil, Sobok, Chibe etc are other important water systems. The area consists of red loamy soil and has a tropical climate characterized by high rainfall and high humidity, moderate cold winter and mild summer seasons;

AND WHEREAS, the National Park supports broad-leaved evergreen and semi-evergreen forests with brackets of bamboo at lower altitudes and area falls under Bio-geographical province 4.09.04 (Burma monsoon

forest) and it represents Bio-geographical unit 9 B Meghalaya Hills in the North-East India as described by Panwar and Rogers (1988). The forests approached the type Eastern Sub-montane Semi-evergreen Forests (sub-type 26/c16) grouped under Tropical Semi-evergreen forests, described by Sir Champion and Seth (1968);

AND WHEREAS, the vegetation of the National Park and its surrounding (Biosphere Reserve area) is broadly classified into the flora of tropical and sub-tropical zones based on the altitudes. The tropical vegetation covers an area up to the elevation of about 1000 meters from sea level. The species are of evergreen, semi-evergreen, moist deciduous types and include bamboo thickets;

AND WHEREAS, the Nokrek Biosphere Reserve along with Nokrek National Park comprises one of the few unique areas of Garo Hills and forms a part of one of the global hotspots of biodiversity endowed with virgin forested areas representing natural beauty, undisturbed diverse flora and fauna and varied human cultures;

AND WHEREAS, the Nokrek National Park provides two important corridors to wild elephants (i) Nokrek-Emangre Corridor of about 10.0 km total length and 3.4 km width, connecting large stretch of forests in and around Emangre RF with Nokrek NP and adjacent areas and (ii) Rangira-Nokrek Corridor, blocked by the recent governmental developments;

AND WHEREAS, the National Park conserves the floral and faunal biodiversity and supports about 75 species of flora including *Schima wallichii*, *Terminalia belerica*, *Terminalia chebula*, *Albizia lebbek*, *Sizigium* sp., *Alucida* sp., *Glycodium* sp., *Castanopsis hystrix*, *Litsia nepalensis*, *Acrocaptus fraxinnifolias*, *Moesa ramentosa*, *Rhus javanica*, *Ficus* sp., *Ziziphus ragosda*, *Premna multiflora*, *Mitraphora tomentosa*, *Aglata ruxburghii*, *Ilelicia rubusta*, *Quercus semiserata*, *Eryobotyra bengalensis*, *Breynia patens*, *Engel handia*, *Dilenia pentagyna*, *Cllecapus floribundus*, *Gimelina arborea*, *Garoinia alfinis*, *Glochidion* sp., *Citsia* sp., *Holarrhaena antidysenterica*, *Legarstomia* sp., *Kudia calycaspa*, *Salmalia malabarica*, *Sterculia vilosa*, *Vitex glabra*, *Micaranga palcaca*, *Aprorusa diocia*, *Grewia microcosm*, *Mallotus phillipensis*, *Bauhunia* sp., *Calicarpa arborea*, *Emblica officinalis*, *Cinnamomum* sp., *Hibiscus macrophylus*, *Birch*, *Kedia floribunda* etc. The floristic composition includes *Michelia* sp., *Aporusa wallichii*, *Cryptocara andersonii*, *Mesua ferrea*, *Castanopsis hystrix*, *Castanaposis amata*, *Betula culindristachis* etc. Few shrubs and bushes of 1 to 2 meters in height like *Munronia pinnata*, *Eryobotra angustissima*, *Antistrophe oxyantha*, *Strobilanthus glomeratus* and *Erianthus* sp. form the ground cover in these areas. Weeds like *Eupathorium odoration*, *Michenia micranta*, *Croton* sp. infested in the forest gaps. The bamboo species comprises of *Dinochloa macelloandii* and *Melocana bambosoides*. Epiphytic growth is also rich in these forests and almost every tree perched over by dense growth of epiphytic orchids, ferns and other plants. The ground flora consists of species like *Alpinia* sp., *Amomum* sp., *Colocasia* sp., *Costrus* sp., *Hedychium* sp., *Citrus indica* Tanaka, *Citrus laptis* Tanaka, *Citrus reticulate* Blanco, *Citrus aurantifolia* Swingle, *Citrus grandis* Osbeck, *Citrus jambhiri* Lushington and *Citrus limon* Burm etc.

AND WHEREAS, the National Park supports several faunal species majorly including Hoolock gibbon, Rhesus monkey, Stump tailed macaque, Pig tailed macaque, Capped langur, Bear, Slow loris, Bonnet monkey, Malayan giant squirrel, Himalayan squirrel, Flying squirrel, Binturong, Clouded leopard, Tiger, Great Indian pied horn bill, Common horn bill, Sambar, Barking deer, Gaur, Serow, Wild elephant, Wild boar, Bison, Indian fox, Indian wolf, Porcupine, Mongoose, Civet cat etc.;

AND WHEREAS, the National Park is rich in avifauna and supports conserve and protect the important species like *Lophura leucomelanos* (Khalij pheasant), Great pied hornbill, Peacock pheasant, *Spilornis cheela* (crested serpent eagle) etc. The herpetofauna of the area includes many species of snakes, lizards, and turtles;

AND WHEREAS, the National Park also conserves, protect and provides shelter to endangered and threatened floral and faunal species including *Citrus indica* Tanaka, *Nepenthes khasiana*, *Paphiopodilum venustum*, Binturong, Hoolock gibbon, Clouded Leopard, Tiger, Gaur, Pig-tailed macaque, Stump-tailed macaque, Asian elephant, Panther, Giant squirrel, Barking deer etc.;

AND WHEREAS, the National Park is home to a variety of flora, fauna and avifauna, and provides protection to endangered species of wildlife endemic to that region. Therefore, it is necessary to conserve and protect the area around the National Park from ecological and environmental point of view to protect and propagate the biodiversity therein and its environment;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act ,1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 271.48 square kilometers with varying extent from 2.0 km to 8.0 km around the boundary of Nokrek

National Park in Meghalaya as Nokrek National Park Eco-Sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-Sensitive Zone), details of which are as under, namely :-

1. Extent and Boundaries of Eco-Sensitive Zone :-

1. The Eco-Sensitive Zone shall be 271.48 square kilometers with varying extent from 2.0 km to 8.0 km around the boundary of the Nokrek National Park;

2. The boundary description of the Eco-Sensitive Zone around the Nokrek National Park is appended as **Annexure-I;**

3. The list of villages falling under the Nokrek National Park ESZ along with geo-coordinates is appended as **Annexure-II;**

4. Map of the Nokrek National Park Eco-Sensitive Zone along with geo-coordinates is appended as **Annexure-III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone :-

(1) The Meghalaya Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-Sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of Final Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this Notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the state for integrating the ecological and environmental considerations into the proposed plan:

(i) Environment Department;

(ii) Forest and Wildlife Department;

(iii) Agriculture & Horticulture Department;

(iv) Land Revenue and Settlement Department;

(v) Rural Development Department;

(vi) Urban development Department;

(vii) Municipal Department;

(viii) Panchayati Raj Department;

(ix) Tourism including Eco-tourism Department;

(x) Irrigation and Flood Control Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this Notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of the local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area such as park and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(7) The Zonal Master Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote the eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the State and District level Eco-Sensitive Zone Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this Notification.

3. Measures to be taken by State Government :-

The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this Notification, namely :-

1. Landuse:

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-Sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries;

(v) Convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(vi) Promoted activities and activities given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Provided also that there shall be no consequential reduction in the green area such as forest area and agriculture area. Efforts shall be made to reforest the unused, denuded or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies:

The catchment areas of all natural rivers/channels/springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan. The strict guidelines shall be drawn up by the State Government to prohibit development activities at or near these areas.

(3) Tourism/Eco-tourism:

(a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1.0 km from the boundary of the Nokrek National Park or up to the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1.0 km from the boundary of the National Park till the extent of the Eco-Sensitive

Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage: -All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites:- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as a part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution:- Prevention and control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution:- Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents:- Discharge of treated effluent in Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes:- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide Notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time and the relevant rules notified by the state Government;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste:- Bio-medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management:- The plastic waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management:- The management of construction and demolition waste in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste Management:- The e- waste management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic: -The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution:- The prevention and control of vehicular pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units:- (i) On or after the publication of this Notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes:- The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this Notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone:

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1	Commercial mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T. N. Godavarman Thirumulpad *Vs.* UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation *Vs.* UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in Feb 2016, unless so specified in this Notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3	Establishment of major thermal and major hydroelectric project	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

4	Use or production or processing of any hazardous substances	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6	Setting of new saw mills	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-Sensitive Zone.
7	Setting up of brick kilns	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8	Commercial use of fire wood	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated Activities	
9	Commercial establishment of hotels and resorts	(a) No new commercial hotels and resorts shall be permitted within 1.0 km of the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. (b) Provided that, beyond 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to the extent of Eco-Sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism/ Eco-tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies	Regulated under applicable laws.
11	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 1.0 km from the boundary of the Protected Area or up to extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond 1.0 km it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12	Small scale non-polluting industries	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-Sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.

13	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP)	Regulated under applicable laws.
15	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
16	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-Sensitive Zone area by hot air balloon, Microlites, helicopter, drones etc.	Regulated under applicable law.
19	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws.
20	Movement of vehicular traffic at night	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries	Permitted under applicable laws for use of locals.
22	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area	The discharge of treated waste water/ effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
23	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
24	Open well, borewell etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25	Use of plastic bags	Use of polythene bags are permitted within the Eco-Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
26	Introduction of exotic species	Regulated under applicable laws.
27	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
28	Commercial sign boards and hoardings	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
29	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
30	Organic farming	Shall be actively promoted.

31	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
32	Cottage industries including village artisans etc.	Shall be actively promoted.
33	Use of renewable energy and fuels	Biogas, solar light etc. to be actively promoted.
34	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
35	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
36	Skill development	Shall be actively promoted.
37	Restoration of habitat/ degraded land/ forests	Shall be actively promoted.
38	Environmental awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification :-

The Central Government constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:

(i)	The Conservator of Forests (Territorial Land and Wildlife), Government of Meghalaya	-Chairman;
(ii)	Chief Forest Officer, Garo Hills Autonomous District Council (GHADC)	-Member;
(iii)	Representative from Revenue Department	-Member;
(iv)	Representative of non-governmental organization working in the field of Nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by Government of Meghalaya	-Member;
(v)	Regional Officer, Meghalaya State Pollution Control Board	-Member;
(vi)	One expert in Ecology from reputed Institution/University to be nominated by the Government of Meghalaya	-Member;
(vii)	Member Secretary, Meghalaya Biodiversity Board	-Member;
(viii)	Divisional Forest Officer (concerned) Garo Hills Wildlife Division	-Member Secretary.

6. Terms of Reference.-(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(2) The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned work in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this Notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro forma appended at **Annexure IV.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this Notification.

8. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/25/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND THE NOKREK NATIONAL PARK:

North: The Northern boundary makes up of villages like Mandal Nokat (25°30'704" N and 90°20'045" E) which is about 6.0 km from the PA, Bansinggre (25°30'535" N and 90°27'389" E) which is about 5.0 km from PA, Bandigre (25°30'406" N & 90°24'018" E) which is about 5.0 km from the PA.

East: The Eastern boundary comprises of villages like Rongbinggre (25°27'010" N and 90°35'028" E) which is only about 2.0 km from the PA.

West: The Western boundary has villages like Nikrang A'ding (25°30'627" N and 90°13'548" E) which is about 2.0 km and Darengre (25°28'56.3" N and 90°14'17.9" E) which is about 3.0 km from the PA.

South: The Southern boundary comprises of important elephant corridors like Emangre (25°22'28.7" N and 90°33'07.0" E) which is about 8.0 km from the PA and Chiringma (25°23'08.1" N and 90°25'29.9" E) which is about 5.0 km from the PA.

ANNEXURE-II

LIST OF VILLAGES THE ECO-SENSITIVE ZONE OF THE NOKREK NATIONAL PARK ALONG WITH GEO-COORDINATES:-

Sl. No.	Name of villages	Bearings	
		Latitude	Longitude
1.	Darengre	25°28'56.3" N	90°14'17.9" E
2.	Rongkugre	25°23'33.9" N	90°25'24.3" E
3.	Dura Asim	25°27'12.3" N	90°16'32.3" E
4.	Durabanda	25°25'51.6" N	90°16'53.8" E
5.	Awegre	25°25'58.6" N	90°18'21.8" E
6.	Anchigre	25°25'53.4" N	90°18'58.2" E
7.	Pasimgre	25°25'47.9" N	90°19'33.9" E
8.	Rongchanggre	25°25'35.0" N	90°20'13.7" E
9.	Rongdigre	25°24'43.3" N	90°19'20.9" E

10.	Danagre	25°25’27.3” N	90°20’54.9” E
11.	Mekalpara	25°25’28.4” N	90°23’03.8” E
12.	Ruabanga	25°25’17.1” N	90°23’20.3” E
13.	Kalbanggre	25°23’55.1” N	90°22’54.9” E
14.	Rongasi	25°25’27.7” N	90°25’25.9” E
15.	Rongrugre	25°23’33.9” N	90°25’24.3” E
16.	Chiringma	25°23’08.1” N	90°25’29.9” E
17.	Rongru Asim	25°23’16.3” N	90°26’28.8” E
18.	Darenggre	25°24’25.6” N	90°26’45.7” E
19.	Jetragre	25°25’26.2” N	90°27’31.8” E
20.	Rongma Kakija	25°28’56.3” N	90°14’17.9” E
21.	Rekmangre	25°22’58.8” N	90°29’57.6” E
22.	Paromgre	25°24’05.1” N	90°30’48.8” E
23.	Rongma Anti	25°24’47.1” N	90°31’00.2” E
24.	Dabalgre	25°23’45.5” N	90°33’17.8” E
25.	Aruak Nokatgre	25°23’11.6” N	90°35’25.1” E
26.	Gongjagre	25°25’508” N	90°35’268” E
27.	Kakwa Duragre	25°26’497” N	90°33’797” E
28.	Rongbokgre	25°27’289” N	90°33’565” E
29.	Mabokgre	25°27’47.7” N	90°32’214” E
30.	Nojanggre	25°27’205” N	90°32’577” E
31.	Sobokgre	25°27’56.8” N	90°31’29.2” E
32.	Nengsrang Adugre	25°28’52.6” N	90°29’10.9” E
33.	Pathalgre	25°29’537” N	90°29’934” E
34.	Jingamgre	25°29’230” N	90°28’428” E
35.	Bansinggre	25°30’535” N	90°27’389” E
36.	Rongchekgra	25°29’298” N	90°25’506” E
37.	Ampanggre	25°29’318” N	90°24’003” E
38.	Bandigre	25°30’406” N	90°24’018” E
39.	Mandalgre	25°30’943” N	90°22’137” E
40.	Boldorenggre	25°31’978” N	90°14’790” E
41.	Nikrang Ading	25°30’627” N	90°13’548” E
42.	Dura Kalakgre	25°30’561” N	90°18.454” E
43.	Mandal Nokat	25°30’704” N	90°20’045” E
44.	Rongbinggre	25°27’010” N	90°35’028” E
45.	Emangre	25°22’28.7” N	90°33’07.00” E
46.	Dadugre	25°22’29.8” N	90°33’08” E
47.	Bawe Duragre	25°28’34.6” N	90°33’05.3” E
48.	Sakalgre	25°29’28.9” N	90°17’20.8” E
49.	Baladinggre	25°29’35.8” N	90°17’27.0” E
50.	Darechikgre	25°31’23.6” N	90°16’19.1” E

ANNEXURE-III

MAP OF THE NOKREK NATIONAL PARK ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO-COORDINATES

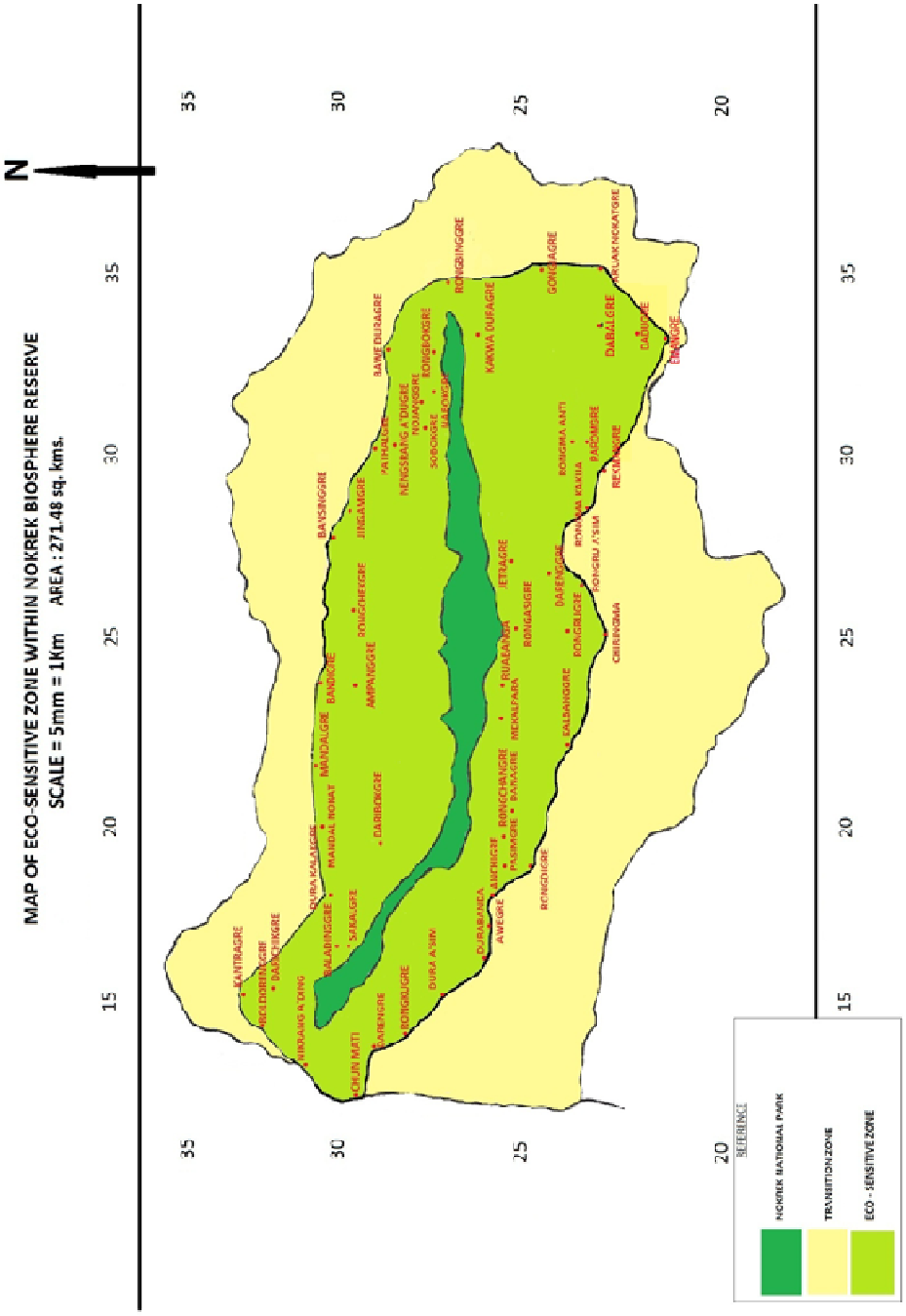

ANNEXURE-IV

PRO FORMA OF ACTION TAKEN REPORT : ECO-SENSITIVE ZONE MONITORING COMMITTEE:-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: (Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure)
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: (Details may be attached as separate Annexure)
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure)
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.05.08 16:01:19 +05'30'